"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129] रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 अप्रैल 2006—चैत्र 22, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/24/2006/वाक/पांच (27).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा—

(1) प्रत्येक परेषक जो छत्तीसगढ़ राज्य से राज्य के बाहर माल भेजता है, एवं

(2) केन्द्र या राज्य शासन के विभागों, संगठनों, उपक्रमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के संयुक्त उपक्रम,

को उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (4) के अधीन घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/24/2006/वाक/पांच (27).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/24/2006/वाक/पांच (27), दिनांक 12-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 12th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/24/2006/CT/V (27).—In exercise of powers conferred by Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts—

(1) Each consignor who sends the goods from Chhattisgarh State to outside the State, and

(2) Departments, organizations, undertakings of Central or State Government and Joint venture of public sector undertakings,

from furnishing of declaration under sub-section (4) of section 58 of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/24/2006/वाक/पांच (28).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव,

(i) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख,

(ii) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10, तथा

(iii) छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 6

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द आश्रम, रायपुर को छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 4, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा 3 तथा छत्तीसगढ़ वृत्ति कर अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों से 1 अप्रैल, 2006 की प्रभावशीलता से छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/24/2006/वाक/पांच (28).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/24/2006/वाक/पांच (28), दिनांक 12-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 12th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/24/2006/CT/V (28).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest ;

Now, therefore in exercise of powers conferred by,

(i) Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005),

(ii) Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), and

(iii) Section 6 of the Chhattisgarh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995)

the State Government hereby with effect from 1st April, 2006 exempts Ramakrishna Mission Vivekanand Ashram, Raipur from the provisions of section 4 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, section 3 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam and section 3 of the Chhattisgarh Vritti Kar Adhiniyam.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/24/2006/वाक/पांच (29).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल को कालम (3) में वर्णित सीमा तक कालम (4) में दिये गये निर्बंधन एवं शर्तों के अधीन 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक की कालावधि के लिये कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है :—

अनुसूची

अ. क्र.	माल का विवरण	कर मुक्ति सीमा	निर्बंधन तथा शर्तें जिसके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धान	धारा 9 के अधीन संपूर्ण कर.	जब धान का उपयोग पोहा, मुरमुरा या लाई के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जाए.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	धान	धारा 9 के अधीन संपूर्ण कर.	जब धान का उपयोग चांवल के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जाए तथा निर्मित माल का विक्रय अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाए.
3.	धान	धारा 8 के अधीन संपूर्ण कर.	जबकि धान का विक्रय अधिनियम के अधीन पंजीयत व्यवसाई द्वारा ऐसे दूसरे व्यवसाई को संलग्न प्ररूप घोषणा पत्र के विरुद्ध इस आशय हेतु किया जाए कि- (क) धान का उपयोग पोहा, मुरमुरा या लाई के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जाएगा, अथवा (ख) धान का उपयोग चांवल के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जाएगा तथा निर्मित माल का विक्रय अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाएगा.

प्ररूप

घोषणा-पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... के अधीन)

मैं .... (व्यापारी का नाम) पता .... छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... का धारक व्यापारी एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने नीचे दिये गये विवरण अनुसार धान का क्रय .... (व्यापारी का नाम तथा पता) उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक .... धारक व्यापारी से किया है.

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि उक्त धान का उपयोग मेरे द्वारा-

* पोहा/मुरमुरा/लाई के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जाएगा.

अथवा

* चांवल के निर्माण में कच्चा माल के रूप में किया जाएगा तथा निर्मित माल का विक्रय अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाएगा.

क्रय का विवरण

विक्रय बिल/बीजक/कैश मेमो/ चालान का विवरण		क्रय किए गए माल का विवरण	मात्रा	* मूल्य (रुपये)
क्रमांक	दिनांक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये .... (शब्दों में) रुपये .... मात्र.

स्थान ....

दिनांक ....

क्रेता के हस्ताक्षर सील एवं हैसियत सहित

* जो लागू न हो उसे काट दें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/24/2006/वाक/पांच (29).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/24/2006/वाक/पांच (29), दिनांक 12-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 12th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/24/2006/CT/V (29).—In exercise of the powers conferred by Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3), subject to the restrictions and condition specified in column (4) for the period from 1st April, 2006 to 31st March, 2007 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)	Restriction and conditions subject to which exemption is granted (4)
1.	Paddy	Whole of tax u/s. 9	When paddy is used as raw material in the manufacture of poha, murmura or lai.
2.	Paddy	Whole of tax u/s. 9	When paddy is used as raw material in the manufacture of rice and finish goods is sold in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.
3.	Paddy	Whole of tax u/s. 8	When paddy is sold by a dealer registered under the Act to another such dealer against a declaration in the appended form to the effect that- (a) paddy shall be used as raw material in the manufacture of poha, murmura or lai, or (b) Paddy shall be used as raw material in the manufacture of rice and finish goods shall be sold in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.

APPENDIX

Declaration

(Under C. T. D. Notification No. .... Dated ....)

I .... (Name of the dealer) .... (Address), a dealer holding registration certificate No. .... under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005, hereby declare that I have purchased paddy, particulars of which have been given below from .... (Name and Address of the dealer) holding registration certificate No. .... under the said Act.

2. I further declare that the said paddy shall be used by me—

* as raw material in the manufacture of poha/murmura/lai.

OR

* as raw material in the manufacture of rice and finish goods shall be sold in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export out of the territory of India.

PARTICULARS OF PURCHASE

Particulars of Bill/Invoice/ Cash memo/Challan		Description of goods purchased	Quantity	Value (Rs.)
No.	Date			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Total value (in figures) Rs. .... (in words) Rs. .... only.

Place ....

Date ....

Signature of the purchaser with seal and Status.

* Strike out whichever is not applicable.

By order and in the name of ths Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/26/2006/वाक/पांच (30).—स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है—

संशोधन

1. नीचे दी गई अधिसूचनाओं में कालावधि से संबंधित अंक "2006" के स्थान पर अंक "2007" प्रतिस्थापित किए जाएं :—

अ. क्र.	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक
1.	ए-3-28-2000/विक/पांच (33)	13-04-2000
2.	एफ-10/41/2002/वाक/पांच (36)	25-04-2003
3.	एफ-10/20/2003/वाक/पांच (39)	01-05-2003
4.	एफ-10/47/2003/वाक/पांच (58)	17-06-2003
5.	एफ-10/70/2003/वाक/पांच (93)	06-10-2003

2. अधिसूचना क्रमांक ए-3-28-2000/विक/पांच (33) दिनांक 13-04-2000 में जहां कहीं भी शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994" आये हों, के स्थान पर शब्द एवं अंक "छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005" प्रतिस्थापित किये जाएं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/26/2006/वाक/पांच (30).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/26/2006/वाक/पांच (30), दिनांक 12-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 12th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/26/2006/CT/V (30).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the state government hereby makes the following amendments :—

AMENDMENT

1. In the notifications given below for the figure related to period "2006", the figure "2007" shall be substituted :—

S. No.	Notification No.	Date
1.	A-3-28-2000-ST-V (33)	13-04-2000
2.	F-10/41/2002/VT/V (36)	25-04-2003
3.	F-10/20/2003/CT/V (39)	01-05-2003
4.	F-10/47/2003/CT/V (58)	17-06-2003
5.	F-10/70/2003/CT/V (93)	06-10-2003

2. In notification No. A-3-28-2000-ST-V (33) dated 13-4-2000 wherever the words and figure "Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994" occur, the words and figure "Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/26/2006/वाक/पांच (31).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शायी गई वस्तुओं की श्रेणी को कालम (3) में दर्शायी गई सीमा तक कालम (4) में दर्शायी गई शर्तों एवं निर्बन्धनों के अंतर्गत दिनांक 01-04-2006 से 31-03-2007 तक के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	शर्तें एवं निर्बन्धन (4)
1.	नारियल	सम्पूर्ण कर	
2.	सिलाई मशीन	सम्पूर्ण कर	
3.	आटा, मैदा, सूजी तथा चोकर	सम्पूर्ण कर	
4.	छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी उद्योग द्वारा निर्मित माल, किंतु कोयला तथा लौह अयस्क को छोड़कर.	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में किसी लघु उद्योग द्वारा निर्माण की प्रक्रिया में कच्चा माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए प्रवेश कराया गया हो.
5.	अनुसूची-2 तथा 3 में विनिर्दिष्ट माल.	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में अगरबत्ती निर्माण में कच्चा माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए प्रवेश कराया गया हो.

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	पेट्रोल, डीजल आयल, एवीएशन स्प्रीट तथा एवीएशन टरबाईन फ्यूल.	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा विक्रय के लिए प्रवेश कराया गया हो.
7.	पेट्रोल,डीजल आयल, फर्नेस आयल, एवीएशन स्पिरिट, एवीएशन टरबाईन फ्यूल तथा फायर ब्रिक्स.	सम्पूर्ण कर	जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयत किसी अन्य व्यवसाई से स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या उपभोग के लिए क्रय किया गया हो.
8.	कम्प्यूटर, कम्प्यूटर पार्ट्स तथा एसेसरीज.	सम्पूर्ण कर	
9.	तैयार वस्त्र, तैयार सूती होजयरी, बुने हुए सूती वस्त्र तथा तैयार नायलोन होजयरी.	सम्पूर्ण कर	
10.	सभी प्रकार के मोटर वाहन	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा विक्रय के लिए प्रवेश कराया गया हो.
11.	अनुसूची-2 की प्रविष्टि 8 में विनिर्दिष्ट सभी प्रकार का कपड़ा.	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1% हो जाय.	
12.	केन बास्केट, ड्रिल रॉड तथा पी. वी. सी. केसिंग पाईप.	अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1% हो जाय.	जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन पंजीयत किसी अन्य व्यवसाई से स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या उपभोग के लिए क्रय किया गया हो.
13.	फ्लाई-ऐश	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2005 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र से प्रवेश कराया गया हो.
14.	धान तथा चावल	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र से प्रवेश कराया गया हो.
15.	हेसियन क्लॉथ	सम्पूर्ण कर	
16.	कच्चा ऊन	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में, या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के लिए माल के विनिर्माण में उपयोग या उपभोग के लिए प्रवेश कराया गया हो.

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	सभी प्रकार के मोटर वाहन के, ट्रेक्टर तथा ट्रेक्टर ट्रेलर्स के और पशु द्वारा खीचे जाने वाले वाहनों के टायर, ट्यूब तथा फ्लेप.	सम्पूर्ण कर	
18.	ट्रेक्टर को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के मोटर वाहन के अतिरिक्त पुर्जे.	सम्पूर्ण कर	
19.	मक्का, कनकी, मछली, तेल निकला हुआ कोंढा, शेल ग्रीड, फीड सप्लीमेन्ट्स (दवाईयां) तथा खली.	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में कुक्कुट पालकों द्वारा उनके कुक्कुट फार्म में उपभोग के लिए कुक्कुट आहार के निर्माण में कच्चा माल के रूप में उपयोग के लिए प्रवेश कराया गया हो.
20.	लुब्रीकेन्ट्स	सम्पूर्ण कर	
21.	चावल	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विक्रय के लिए प्रवेश कराया गया हो.
22.	खुली चाय	सम्पूर्ण कर	
23.	उद्जनित वनस्पति तेल जो भारत में निर्मित न हो.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 0.5% हो जाय.	
24.	जूट जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (V) में वर्णित है.	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में निर्माण की प्रक्रिया में कच्चा माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए प्रवेश कराया गया हो.
25.	वनस्पति तथा खाद्य तेल	सम्पूर्ण कर	
26.	किराना सामान	सम्पूर्ण कर	
27.	बबूल बीज	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में निर्माण की प्रक्रिया में कच्चा माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए प्रवेश कराया गया हो.
28.	लाख	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में निर्माण की प्रक्रिया में कच्चा माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए प्रवेश कराया गया हो.
29.	पूंजीगत माल, स्टील तथा सीमेंट	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा द्वारा अपने संयंत्र के विस्तारीकरण के लिए प्रवेश कराया गया हो.

(1)	(2)	(3)	(4)
30.	उद्जनित वनस्पति तेल एवं घी	सम्पूर्ण कर	
31.	गुड़	सम्पूर्ण कर	
32.	राईस ब्रान	सम्पूर्ण कर	जब कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित हो.
33.	अनुसूची-2 तथा 3 में विनिर्दिष्ट माल.	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसायी द्वारा फेरो एलायज के निर्माण में उपयोग के लिये प्रवेश कराया गया हो.
34.	शक्ति करघों पर विनिर्मित अप्रसंस्कृत कपड़ा.	सम्पूर्ण कर	जबकि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा उसका विनिर्माण किसी स्थानीय क्षेत्र में किया गया हो तथा तत्पश्चात् प्रसंस्करण हेतु उसे किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में इस दृष्टि से प्रविष्ट किया गया हो कि जिससे प्रसंस्कृत कपड़ा प्राप्त किया जाय.
35.	सिल्क यार्न 22.00 डेनियर्स तक	सम्पूर्ण कर	
36.	सूती तथा ऊनी खादी का कपड़ा	सम्पूर्ण कर	
37.	अखबारी कागज	सम्पूर्ण कर	
38.	पका अन्न के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल.	सम्पूर्ण कर	जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत ऐसे व्यवसायी द्वारा प्रवेश कराया गया हो, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर के प्रशमन की अनुज्ञा दी गई हो.
39.	सोना तथा चांदी की वस्तुएं जिनमें सिक्के, बुलियन तथा स्पेसी सम्मिलित है.	सम्पूर्ण कर	जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसायी द्वारा सोना तथा चांदी की वस्तुएं जिनमें सिक्के, बुलियन तथा स्पेसी सम्मिलित है, में संपरिवर्तन हेतु प्रवेश कराया जाय.
40.	टेलीविजन	सम्पूर्ण कर	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2006

क्रमांक एफ-10/26/2006/वाक/पांच (31).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/26/2006/वाक/पांच (31), दिनांक 12-4-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 12th April 2006

NOTIFICATION

No. F-10/26/2006/CT/V (31).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempt the class of goods specified in column (2) of the schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3) from 01-04-2006 to 31-03-2007, subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the schedule :—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Coconut	Whole of tax	
2.	Sewing machine	Whole of tax	
3.	Atta, maida, suji and wheat bran.	whole of tax	
4.	Goods manufactured by any industries situated in Chhattisgarh State, except coal and iron ore.	Whole of tax	When entered into a local area by any small scale industries for consumption or use as raw material in the process of manufacture.
5.	Goods specified in Schedule-II and III.	Whole of tax	When entered into a local area for use or consumption as raw material in the manufacture of agarbatti.
6.	Petrol, diesel oil, aviation spirit and aviation turbine fuel.	Whole of tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for sale.
7.	Petrol, diesel oil, furnace oil, aviation spirit, aviation turbine fuel and fire bricks.	Whole of tax	When purchased by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 from another registered dealer under the said Act for consumption or use in a local area.
8.	Computer, computer parts and accessories.	Whole of tax	

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Readymade garments, readymade cotton hosiery, cotton knitted garments and readymade nylon hosiery.	Whole of tax	
10.	All kinds of motor vehicles	Whole of tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for sale.
11.	All varities of cloth as specified in entry 8 of Schedule-II.	Partly so as to reduce the rate of tax to 1%.	
12.	Cane basket, drill rod and PVC casing pipe.	Partly so as to reduce the rate of tax to 1%.	When purchased by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 from another registered dealer under the said Act for consumption or use in a local area.
13.	Fly-ash	Whole of tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 from any local area within Chhattisgarh State.
14.	Paddy and rice	Whole of tax	When entered into a local area from any local area within Chhattisgarh State.
15.	Hessian cloth	Whole of tax	
16.	Raw wool	Whole of tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for use or consumption in the manufacture of goods for sale in the State of Chhattisgarh or in the course of inter-state trade or Commerce or in the course of export out of the territory of India.
17.	Tyres, tubes and flaps of motor vehicles of all kinds of tractor and trailers and of animal drawn vehicles.	Whole of tax	
18.	Spare parts of all kinds of motor vehicle including tractor.	Whole of tax	
19.	Maize, broken rice, fish, de-oiled rice bran, shell grid, feed supplements (medicines) and de-oiled cake.	Whole of tax	When entered into a local area by poultry farmers for use as raw material in the manufacture of poultry feed for consumption in their poultry farm.

(1)	(2)	(3)	(4)
20.	Lubricants	Whole of tax	
21.	Rice	Whole of tax	When entered into a local area by Food Corporation of India for sale under public distribution system.
22.	Loose tea	Whole of tax	
23.	Hydrogenated vegetable oil not manufactured in India.	Partly so as to reduce the rate of tax to 0.5%.	
24.	Jute as specified in clause (v) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Whole of tax	When entered into a local area for consumption or use as raw material in the process of manufacture.
25.	Vegetable and edible oil	Whole of tax	
26.	Kirana goods	Whole of tax	
27.	Babool seed	Whole of tax	When entered into a local area for consumption or use as raw material in the process of manufacture.
28.	Lakh	Whole of tax	When entered into a local area for consumption or use as raw material in the process of manufacture.
29.	Capital goods, Steel and Cement.	Whole of tax	When entered into a local area by Bharat Aluminium Company Limited, Korba for expansion of its plant.
30.	Hydrogenated vegetable oil and Ghee.	Whole of tax	
31.	Jaggery	Whole of tax	
32.	Rice bran	Whole of tax	When the goods specified in column (2) is produced in Chhattisgarh State.
33.	Goods specified in Schedule-II and III.	Whole of tax	When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for use in the manufacture of Ferro Alloys.
34.	Un-processed cloth manufactured in powerloom.	Whole of tax	When manufactured by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 in a local area and subsequently entered into another local area for processing so as to obtain processed cloth.
35.	Silk yarn upto 22.00 deniers.	Whole of tax	

(1)	(2)	(3)	(4)
36.	Cotton and woolen khadi cloth.	Whole of tax	
37.	News print	Whole of tax	
38.	Raw material used in the manufacture of cooked-food.	Whole of tax	When entered into a local area by a registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 who has been granted permission for composition of tax under sub-section (2) of section 10 of the said Act.
39.	Articles of gold and silver including coins, bullion and specie.	Whole of tax	When entered into a local area by a registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for conversion into articles of gold and silver including coins, bullion and specie.
40.	Television	Whole of tax	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.